

नमामि  
गंगे



भारतीय वन्यजीव संस्थान  
Wildlife Institute of India

# जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम - शहजादपुर (बिशनपुर)

विकासखंड - नारायणपुर

जनपद - भागलपुर, बिहार



## सूक्ष्म नियोजन


ग्राम पंचायत	शहजादपुर
विकासखंड	नारायणपुर
जनपद	भागलपुर
राज्य	बिहार
कुल बजट	<b>20,56,000.00</b>
क्रियान्वयन अवधि	<b>5 वर्ष (2020–2024)</b>

## विषय – वस्तु

परिचय	1
भाग – 1 प्रस्तावना	4
भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण	6
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	6
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक	6
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया	6
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	7
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	7
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	8
2.7 कृषि एवं पशुपालन	8
2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण	9
2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति	9
2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण	9
2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता	9
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी	10
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	10
भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	11
भाग – 4 समस्या विश्लेषण	13
भाग –5 नियोजन का उद्देश्य	15
भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ तथा रणनीति	17
6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां	17
6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढीकरण	17
6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां	18

6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ	19
6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत	19
6.1.6 जैवविविधता संबंधी गतिविधियां	20
6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां	20
6.1.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां	21
6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	21
भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	23
7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता ( feasibility) विश्लेषण	23
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	27
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	29
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	29
7.5 विवाद का निपटारा	29
7.6 अभिलेखों का रखरखाव	30
7.7 सफलता के सूचक	30
अनुलग्नक	
1 समझौता ज्ञापन	31
2 सामाजिक मानचित्र	32
3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची	33
4 फोटो गैलरी	36

# मानचित्र



# ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

## परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को संरक्षित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियाँ जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, वर्ष 2020 तक इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। वन्य जीव संस्थान द्वारा जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनरुद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना

इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत् (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।



# सहमति पत्र

रूपेश मंडल  
मुखिया

ग्राम पंचायत शहजादपुर,  
प्रखण्ड-नारायणपुर, जिला-भागलपुर

9472084192  
7260970587



आवास :

ग्राम-अमरी, पो-अमरी विमानपुर  
थाना-विहपुर, प्रखण्ड-नारायणपुर  
जिला-भागलपुर, (बिहार)  
मोब : 8651475707

तारीख 16/19

दिनांक 26/06/2019

## सहमति पत्र

जीव विविधता संव जोगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत-शहजादपुर, प्रखंड-नारायणपुर जिला-भागलपुर में विभिन्न बैठकी, कार्यवालावी संव प्रशिक्षणों के साथ-साथ अन्य गतिविधियों आयोजित की गई हैं। इस समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद जोगा कि जीव विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय बुझम योजना तैयार की गई है। इस योजना पर समुदायिक बैठक में चर्चा करने के उपरांत समुदाय द्वारा इस पर सहमति दी गई है। ग्राम पंचायत में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत संव जोगा समुदाय, भारतीय वन्यजीव संस्थान संव राष्ट्रीय स्वच्छ जोगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार है।

*Rupesh Mandal*  
26/06/2019  
मुखिया

ग्राम पंचायत-शहजादपुर  
प्रखंड-नारायणपुर (भागलपुर)

ग्राम पंचायत	शहजादपुर
अवस्थिति	25.2908 अक्षांश एवं 86.8842 देशान्तर
विकासखंड	नारायणपुर
जिला	भागलपुर
राज्य	बिहार
जिला मुख्यालय भागलपुर से दूरी	13 कि०मी०
तहसील मुख्यालय नारायणपुर से दूरी	15 कि०मी०
गंगा नदी से दूरी	1.00 कि०मी०
कुल जनसंख्या	15500
कुल परिवार	1800
मुख्य जातियाँ	मण्डल, तांती, पासवान, पौद्धार, शाह, गंगोता, धोबी, हरिजन, ठाकुर आदि

<p>मुख्य समस्याएँ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जागरूकता की कमी,</li> <li>● कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग,</li> <li>● धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना,</li> <li>● कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना,</li> <li>● आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता, स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना</li> </ul>
<p>प्रस्तावित गतिविधियाँ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● समुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ</li> <li>● समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण</li> <li>● आजीविका व कौशल विकास गतिविधियाँ</li> <li>● स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ</li> <li>● वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत</li> <li>● जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ</li> <li>● कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ</li> <li>● पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ</li> </ul>

### 2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत शहजादपुर बिहार राज्य के भागलपुर जिले के नारायणपुर विकासखण्ड में स्थित है। यह राज्य की राजधानी पटना से 210 किलोमीटर दूर है। ग्राम पंचायत शहजादपुर का पिनकोड 812005 तथा पोस्ट ऑफिस शहजादपुर है। शहजादपुर में मैथिली, हिन्दी, तथा उर्दु भाषा बोली जाती है। शहजादपुर पंचायत से गंगा नदी 1 कि०मी० की दूरी पर बहती है। गंगा के चारों तरफ यहाँ के लोगों द्वारा खेती, मत्स्य आखेट एवं पशुपालन का कार्य होता है। बाढ़ के कारण गंगा किनारे लगातार कटाव के कारण गाँव की भौगोलिक स्थिति बदल रही है। हर वर्ष माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ पर अयोध्या के पंडितों द्वारा एक महायज्ञ किया जाता है। अंग प्रदेश का भाग होने के कारण यहाँ पर अंगीका भाषा भी बोली जाती है। ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर है। गाँव 25.2908 अक्षांश तथा 86.8842 देशान्तर पर बसा है। गाँव में संयुक्त एवं एकल परिवार रहते हैं।

### 2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक

शहजादपुर गंगा के तट पर स्थित है, गाँव में सभी तरह की जाति के लोग निवास करते हैं, जिसमें मण्डल, तांती, पौद्धार, पासवान, शाह, गंगोता, धोबी, हरिजन, ठाकुर प्रमुख हैं, प्रत्येक व्यक्ति की गंगा पर निर्भरता है। समुदाय की आजीविका खेती व मजदूरी पर निर्भर है। ग्राम पंचायत के आसपास गंगा नदी में जैवविविधता काफी संख्या में पायी जाती है। जिनमें गांगेय डॉल्फिन, कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ, प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं। समुदाय की गंगा पर निर्भरता होने व जागरूकता की कमी का सीधा प्रभाव गंगा की जैवविविधता पर पड़ रहा है। गंगा के तट पर स्थित होने और यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

### 2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

जनपद भागलपुर में नमामि गंगे के अन्तर्गत चिन्हित गाँवों के संबंध में जानकारी लेने के पश्चात् उस क्षेत्र में जैवविविधता संरक्षण का कार्य कर रही संस्था "मंदार नेचर क्लब" के सदस्यों साथ मिलकर गाँवों का भ्रमण किया गया। ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व उद्देश्यों को बताया गया।

## 2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

गंगा नदी का स्थानीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रहा है, हिन्दू धर्म के अनुसार होने वाले सारे धार्मिक क्रियाकलाप, मेले, त्यौहार आदि गंगा नदी के किनारे ही आयोजित किये जाते हैं। गंगा नदी समुदाय को आजीविका के अवसर भी प्रदान करती है। ग्राम पंचायत शहजादपुर में कुल 1800 परिवार रहते हैं। ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 15500 है, जिसमें 8500 पुरुष और 7000 महिलाएँ हैं। यह ग्राम पंचायत 108 हैक्टेयर के क्षेत्र में स्थापित है। ग्राम पंचायत में सभी समुदाय (हिन्दू, मुस्लिम) तथा जातियों (अनुसूचित जाति, सामान्य, अन्य पिछड़ावर्ग) के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है। कुल 100 परिवारों के पास कृषि भूमि है अन्य परिवार दूसरे लोगों की भूमि पर खेती (बटाई पर) करते हैं या कृषि मजदूर के रूप में कार्य करते हैं।

गाँव में मकर संक्रान्ति मेला, माघ मेला, अन्य धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं तथा ग्राम पंचायत में 4 खण्ड गाँव भी अवस्थित है। यहाँ पर पारम्परिक मेलों तथा त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है।

2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर साक्षरता दर 39.3 प्रतिशत है। ग्राम पंचायत में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय है, जिनके शिक्षकों के द्वारा समय-समय पर शिक्षा साक्षरता के लिए जागरूकता का कार्य किया जाता है। अभी भी ग्राम पंचायत में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम 13.3 प्रतिशत है, जिस हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा स्कूल में नामांकन हेतु अभियान चलाये जाते हैं।

## 2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय –

शहजादपुर ग्राम पंचायत में कुल 1800 परिवारों में से केवल 100 परिवारों के पास ही कृषि भूमि है। 1600 परिवार इन परिवारों की भूमि पर कृषि करते हैं। आय का कोई एक पूर्णकालिक स्रोत न होने के कारण अधिसंख्य परिवारों को आय के अलग-अलग स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इनमें से 110 परिवार स्वरोजगार करते हैं, 50 परिवार सरकारी तथा प्राइवेट नौकरी में हैं, 20 मल्लाह परिवार गंगा के किनारे पालिज खेती (सब्जी) तथा नौकायन करते हैं, गंगा तट पर 500 परिवारों के द्वारा खेती की जाती है। 900 परिवार द्वारा कृषि मजदूरी, मनरेगा, ऑटो चालन, तथा अन्य मजदूरी कार्य किया जाता है। ग्राम पंचायत में 600 परिवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। इन 600 परिवारों की वार्षिक आय एक लाख से कम है। ग्राम पंचायत में आय का द्वितीयक स्रोत पशुपालन, मछली का शिकार तथा नदी किनारे की खेती (Riverbed farming) है।

## 2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

ग्राम पंचायत में सरकारी पेयजल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पेयजल हेतु 1100 व्यक्तिगत हैडपंप हैं। जिससे सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की पेयजल व्यवस्था संचालित होती है। ग्राम पंचायत में 1000 शौचालय निर्मित हैं, जिसमें 876 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने हैं तथा 124 शौचालय समुदाय द्वारा स्वयं बनाये गये हैं। 800 परिवारों द्वारा अभी शौचालय नहीं बनाये गये हैं। गाँव में बने कुल शौचालयों में से केवल 46 प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाता है, अन्य लोग गंगा नदी के किनारे तथा खेतों में शौच के लिये जाते हैं। शौचालय उपयोग न करने का प्रमुख कारण पानी की उपलब्धता न होना तथा जागरूकता की कमी होना है।

कूड़ा निस्तारण सभी परिवारों के द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाता है गाँव में सार्वजनिक या पंचायत का कूड़ा डम्पिंग क्षेत्र नहीं है, कूड़े को अपने घर के आसपास, खेतों में तथा नदी के किनारे डाला जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ पर कूड़ा निपटान हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित था, परंतु ग्राम पंचायत के पास जमीन उपलब्ध न होने के कारण उस पर कार्य नहीं हो पाया है।

## 2.7 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत शहजादपुर में समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है, पंचायत की कुल 108 हैक्टेयर भूमि हैं, जिसमें 96 हैक्टेयर सिंचित कृषि क्षेत्र है तथा 12.50 हैक्टेयर जमीन असिंचित है। पंचायत में रहने वाले कुल 1800 परिवारों में से 100 परिवारों के पास ही कृषि भूमि है जिसमें प्रमुख रूप से कृषि की जाती है, बाकी लगभग 1600 परिवार कृषि श्रमिक हैं, तथा 500 परिवारों के द्वारा गंगा नदी के किनारे मौसमी खेती की जाती है। कृषि भूमि पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। शहजादपुर ग्राम पंचायत में 1800 परिवारों के पास कुल 14500 पशु हैं, जिनमें से 4000 गाय, 8000 भैंसों तथा 2500 बकरियाँ हैं। 75 परिवारों के द्वारा बकरियों का व्यवसाय किया जाता है। पशुओं का चारा खेतों एवं गंगा किनारे से लाया जाता है। गंगा किनारे मोथा, कर्मी, जूर, कषि, दूब, कुश, कांस आदि घासों पाई जाती हैं। जिन्हें चारे के रूप में उपयोग किया जाता है।

## 2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

ग्राम पंचायत शहजादपुर में पेयजल आपूर्ति 1100 हैण्डपम्पों के द्वारा की जाती है, पंचायत में 400 पम्पसेट से गेहूँ की खेती सिंचित की जाती हैं। क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस एवं औसत वार्षिक वर्षा 1111 मिमी० है।

## 2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

पंचायत में पहुँच हेतु निजी वाहन से होता है तथा 10 कि०मी० की दूरी पर सरकारी एवं प्राइवेट बस स्टेशन हैं। गाँव में डाकघर व मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हैं। नजदीकी अस्पताल गाँव से 20 किमी० दूर भागलपुर में स्थित है।

## 2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण

गाँव के आसपास आम, अमरूद, जामुन, आड़ू, कटहल, बरगद, नीम, अशोक, अमलतास, गुलमोहर, पीपल, शहतूत, डेकन, महुआ, पुतरंजीवा, पापुलर, यूकेलिपटिस आदि वन सम्पदा पायी जाती है। समुदाय द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। गंगा नदी के किनारे अंगोला, कुश, कांस आदि घास पाई जाती हैं। यहाँ पर गंगा नदी की जैवविविधता भी प्रचुर मात्रा में है, जिनमें घड़ियाल, मगरमच्छ, गांगेय डॉल्फिन, कछुये, ऊदबिलाव, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ एवं प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं।

## 2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण समुदाय की गंगा नदी पर अत्यधिक निर्भरता है। समुदाय प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक गतिविधियों, नौकायन, कृषि, पालीज खेती, पंचायत में 500 परिवार मछली का शिकार कर अपनी आजीविका कमाते हैं। 20 मल्लाह जाति के परिवार नाविक के रूप में भी गंगा पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। कृषि के लिये जल व पशुओं के चारे हेतु समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। गंगा नदी के तट पर स्थित 2.50 हैक्टेयर कछार भूमि पर ग्राम पंचायत के 500 परिवारों के द्वारा पालिज खेती की जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से परवल, भिण्डी, टमाटर, बैंगन, तोरी, लौकी, करेला, परोल, खीरा, आलू, ककड़ी, प्याज आदि की खेती की जाती है। आजीविका हेतु गंगा पर निर्भरता के कारण गंगा नदी की जैवविविधता को खतरा

बना हुआ है। गंगा के तटों पर कृषि होने के कारण व चारे हेतु गंगा के किनारों की वनस्पति (घास) का उपयोग किये जाने के कारण जलीय जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं।

## 2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

शहजादपुर ग्राम पंचायत विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जैवविविधता संरक्षण के लिये यहां पर मंदार नेचर क्लब द्वारा वन विभाग के सहयोग से जागरूकता व वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय स्तर पर नेचर क्लब का गठन किया जा रहा है।

## 2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम विवरण	का सदस्यों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वयं सहायता समूह	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	121	11 समूह
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	आशा	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	8 कार्यकर्ता	
3	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	4 आंगनबाड़ी केन्द्र	440	
4	ग्राम स्तरीय समिति	नेचर क्लब	जैवविविधता संरक्षण	35	


उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

## भाग –3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गईं। ग्रामीण समुदाय को कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया—

1. मल्लाह समुदाय
2. धार्मिक समूह
3. व्यापारीगण
4. विद्यार्थी समुदाय
5. कृषक
6. महिलायें एवं युवतियाँ
7. समुदाय आधारित संस्थायें – स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, गंगा समिति।
8. विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी जैसे – स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, खंड विकास अधिकारी, वन विभाग आदि।
9. केन्द्रीय मंत्रालय – जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (संगठनों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्सम्बंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र गंगा की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। गंगा नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निर्भरता को समझने एवं गंगा नदी के संरक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।



चित्र - 1 हितधारक मानचित्रण

## भाग – 4 समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत शहजादपुर के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता कृषि कार्यों पर है। यहाँ पर 108 हैक्टेयर बीघा कृषि भूमि के साथ ही 2.50 हैक्टेयर भूमि गंगा के द्वारा छोड़ी गयी कछार भूमि पर कृषि की जाती है। आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के कारण समुदाय कृषि उत्पादकता पर निर्भर है जिसके लिये खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने पर खेती में प्रयुक्त ये रसायन बहकर गंगा के पानी में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित करने के साथ ही जैवविविधता को हानि पहुँचाते हैं।


गंगा पर अपनी धार्मिक श्रद्धा के कारण यहाँ पर स्नान करने के साथ ही पूजा सामग्री, तस्वीरें कैलेण्डर, मूर्तियाँ, धूपबत्ती, पॉलीथीन आदि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं जिससे गंगा के पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। ग्राम पंचायत में कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर बिखरा रहता है जो हवा व वर्षा के साथ गंगा के पानी में मिल जाता है।

शहजादपुर ग्राम पंचायत में लगभग 1600 परिवार पशुपालन करते हैं। गंगा के किनारे पर खेती होने के साथ ही गंगा के किनारे की वनस्पति पर पशुओं के चारे हेतु निर्भरता के कारण यहाँ पर गंगा के जलीय जीवों के आवास को क्षति हो रही है।

आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौशल की जानकारी व उपलब्धता नहीं के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे गंगा से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है।

गांव के पास बहने वाली गंगा की मुख्यधारा से बरसात के मौसम में लगातार कटाव हो रहा है, जिसके कारण कृषि भूमि एवं आबादी को नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कटाव की स्थिति से जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया है।





चित्र – 1 समस्या वृक्ष

## भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का मुख्य उद्देश्य गंगा की जैवविविधता के संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे।

### दीर्घकालीन उद्देश्य

1. गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

### अल्पकालीन उद्देश्य

1. ग्राम में चल रही विकास की समस्त योजनाओं एवं गतिविधियों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
2. गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।





### 6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ

सामुदायिक सहभागिता से कार्य करने एवं किये गये कार्यों की सततता बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि स्थानीय समुदाय किये जा रहे कार्य के महत्व व उसके लाभ के बारे में भलीभांति परिचित हो।

समुदाय की गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के संरक्षण के संबंध में समझ विकसित करने के बाद ही संरक्षण के कार्य में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिससे कि वे स्वयं उस कार्य को करने के लिये तैयार हो सकें। समुदाय में बैठकों और चर्चा के बाद गंगा नदी व उसके आसपास की जैवविविधता व उसके महत्व, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैविक कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन संबंधी जागरूकता गतिविधियाँ करने पर सहमति बनी। जिसके लिये निम्न गतिविधियाँ की जायेंगी –

1. जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।
2. समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।
3. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
4. विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
5. गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।

### 6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

समुदाय में उपस्थित सक्रिय संस्थाएँ किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सफल बनाने के साथ ही उसकी सततता को भी सुनिश्चित करती हैं। शहजादपुर ग्राम पंचायत में 11 स्वयं सहायता समूह गठित हैं, कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त समूहों के साथ बैठकें कर समूह के सदस्यों को सक्रिय करने का प्रयास किया जायेगा। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें अन्य लोगों को भी इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा। जिसके लिये समुदाय में निम्न गतिविधियाँ की जानी हैं –

1. समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना।
2. समुदाय में विभिन्न संस्थाओं के गठन हेतु कार्य करना।
3. समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
4. समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
5. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समूह में शामिल करना एवं उन्हें कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

### 6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां

शहजादपुर में समुदाय की आजीविका हेतु गंगा पर प्रत्यक्ष निर्भरता है। समुदाय नौकायन, घाट पर धार्मिक एवं व्यवसायिक कार्यों, गंगा किनारे कृषि (पालिज) एवं अन्य कृषि कार्यों के साथ ही पशुओं के चारे हेतु गंगा पर निर्भर हैं। गंगा के कछार में खेती करने वाले लोगों द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जलीय जीवों पड़ने वाले खतरों को गिनाते हुये उसके विकल्पों के सम्बन्ध में जागरूक किया जायेगा, जिससे उनकी आजीविका पर भी प्रभाव न पड़े और जलीय जीवन भी बचा रहे। जैवविविधता संरक्षण हेतु लोगों को सतत आजीविका के संबंध में जागरूक करने के साथ ही उन्हें वैकल्पिक आजीविका कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा। बैठकों के दौरान आजीविका एवं कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम किये जाने की मांग समुदाय द्वारा की गई है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला एवं युवकों के समूह बनाकर उन्हें जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा ताकि ये समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकें। ये समूह जैवविविधता संबंधी गतिविधियों पर जागरूकता हेतु एक मंच का कार्य करेंगे। आजीविका एवं कौशल विकास हेतु समुदाय में निम्न गतिविधियाँ की जायेंगी –

1. बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
2. समुदाय में गठित विभिन्न समूहों को ग्राम में चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करना।
3. स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।
4. उपरोक्त प्रशिक्षणों हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से समुदाय को जोड़ने का प्रयास करना।
5. प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।

6. अधिक से अधिक व्यक्तियों को आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।
7. स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।

#### 6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ

शहजादपुर में कूड़ा निपटान हेतु कोई व्यवस्था नहीं है जिससे गाँव में कूड़ा इधर उधर फैला रहता है। ग्राम पंचायत व उसमें स्थित कच्चे घाट की स्वच्छता को बनाये रखना एक कठिन कार्य है। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है परंतु सभी परिवारों के शौचालय न बने होने, घाट एवं गंगा तट पर सार्वजनिक शौचालय एवं कूड़ा निपटान की व्यवस्था न होने व शौचालयों का उपयोग न होने के कारण समस्या बनी हुई है। पंचायत द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर गठित नेचर क्लब व गंगा प्रहरियों के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

1. बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से गाँव में स्वच्छता और शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।
2. जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
3. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।
4. ठोस व तरल अपशिष्ट के उचित निपटान हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।
5. गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर ग्राम पंचायतवासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी।

#### 6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

शहजादपुर ग्राम पंचायत में 78 प्रतिशत परिवार उपलों (Dung cake) व पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं जिससे गंगा के आसपास की वनस्पति पर ईंधन हेतु निर्भरता बनी हुई है। इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाना है। इसके लिये जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा), उज्ज्वला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन परिवारों को एलपीजी, सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर कुकर) एवं बायोगैस का निर्माण करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही उपरोक्त के प्रयोग हेतु समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा।

### 6.1.6 जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां

जैवविविधता के संबंध में जागरूकता एवं इसके संरक्षण हेतु कार्य करने के लिये जनसमुदाय में से गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है, जो नदी तथा ग्राम पंचायत की स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध हैं। उन्हें गंगा घाटों में मेले, स्नान, पर्व के समय अनावश्यक गन्दगी फैलाने वाले लोगों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जायेगी। ये गंगा प्रहरी शहजादपुर एवं आसपास उपस्थित गंगा के जलीय जीवों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करेंगे साथ ही बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग को देंगे जिससे कि उनका बचाव व पुनर्वास किया जा सके। जिसके लिये उन्हें जलीय जीवों के बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना है। समुदाय स्तर पर निम्न गतिविधियाँ की जानी हैं—

1. गंगा नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
2. पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।
3. जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें सदस्यों की भूमिका सुनिश्चित करना।
4. वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक तंत्र तैयार करना।
5. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।

### 6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत की 85 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जिसका एक बड़ा भाग गंगा के किनारे स्थित है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के कारण गंगा नदी के जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही गंगा किनारे की जाने वाली खेती एवं उसके आसपास की वनस्पति का प्रयोग अन्य कार्यों हेतु किये जाने के कारण जलीय जीवों के आवास पर भी संकट है। यद्यपि समुदाय जैविक कृषि हेतु जैविक खाद के निर्माण एवं उपयोग हेतु तैयार है।

1. रासायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
2. जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
3. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

4. उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।
6. नर्सरी या पौधशाला निर्माण के विषय में रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम स्तर पर शिविर, बैठकों के माध्यम से जानकारी देना।

### 6.1.8 पशुपालन संबंधी गतिविधियां

शहजादपुर में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग 1600 परिवारों के पास पशु हैं जिनके लिये खेतों और गंगा के किनारे से चारे की व्यवस्था की जाती है। पशुओं की उन्नत नस्ल न होने की वजह से इन परिवारों को आय के अन्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है।

1. समुदाय को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
2. ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं की चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेंगे, जिसमें पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा।
3. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।
4. बंजर खेतों एवं मेढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

### 6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है—

क्रम सं०	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान

2.	वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण	वन विभाग
3	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ
5.	वैकल्पिक ऊर्जा	बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रिडा), उज्जवला योजना आदि

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।



## भाग-7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

### 7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं०	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1.	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
4	विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभिन्न विभागों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
5	गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

	प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	
8	समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
9	समुदाय में विभिन्न संस्थाओं के गठन हेतु कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
10	सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समूह में शामिल करना एवं उन्हें कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
11	बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
12	समुदाय में गठित विभिन्न समूहों को ग्राम में चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
14	कौशल विकास प्रशिक्षणों हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से समुदाय को जोड़ने का प्रयास करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
15	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
16	अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
17	स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। इसके लिये विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों, संस्थानों से समन्वयन एवं सहयोग की आवश्यकता होगी।

18	बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
19	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
20	जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
21	ठोस व तरल अपशिष्ट के उचित निपटान हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
22	गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर ग्राम पंचायतवासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
23	गंगा नदी की पारिस्थितिकी एवं जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
24	पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
25	जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
26	वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक तंत्र तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
27	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
28	रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

		होगी।
29	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
30	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
31	किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
32	नर्सरी या पौधशाला निर्माण के विषय में रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम स्तर पर शिविर, बैठकों के माध्यम से जानकारी देना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
33	समुदाय को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
34	ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं की चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेंगे, जिसमें पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
35	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
36	बंजर खेतों एवं मेंढों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

## 7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट

ग्राम शहजादपुर में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहाँ तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट शहजादपुर				
क्रम सं०	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
<b>1</b>	<b>सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां</b>			
i	रैली	5	10000	50000
ii	नुक्कड़ नाटक	5	20000	100000
iii	दीवार लेखन	50	500	25000
iv	घाटों पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	4	10000	40000
v	जैवविविधता प्रबन्धन समिति का गठन एवं गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण में उनकी भूमिका पर चर्चा।	6	5000	30000
vi	विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना।	5	5000	25000
vii	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	8	5000	40000
				<b>310000</b>
<b>2</b>	<b>कार्यशाला एवं प्रशिक्षण</b>			
i	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	8	30000	240000
ii	समूह के सदस्यों, गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना।	4	20000	80000

iii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	100000	400000
iv	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन	2	20000	40000
v	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	2	50000	100000
vi	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	50000	100000
vii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण (कृषि विभाग के सहयोग से)	1	100000	100000
				<b>1060000</b>
<b>3</b>	<b>प्रदर्शन एवं निर्माण</b>			
i	प्रदर्शन (Demonstration) वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
ii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रदर्शन (Demonstration)	2	50000	100000
iii	पशु चिकित्सा शिविर	4	10000	40000
iv	सक्रिय समूह को आजीविका संबंधी गतिविधियाँ शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड			50000
v	स्वच्छता अभियान का आयोजन	16	2000	32000
vi	गांव एवं घाटों पर स्वच्छता संबंधित व्यवस्थाओं को स्थापित करना (कूड़ादान लगाना)	8	8000	64000
v	गंगा किनारे वृक्षारोपण			20000
				<b>346000</b>
<b>4</b>	<b>मानवशक्ति एवं यात्राव्यय</b>			
i	फील्ड असिस्टेंट (दो वर्ष हेतु)	1	10000	240000
ii	यात्रा व्यय			100000
				<b>340000</b>
			<b>कुल (1+2+3+ 4)</b>	<b>205600 0</b>

### 7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय समय पर अनुश्रवण कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित समूहों, नेचर क्लब व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स के भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगे।

### 7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) – भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे –

**राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ( एन0एम0सी0जी ) – भारतीय वन्य जीव संस्थान टीम**

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

**समुदाय**

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन।

### 7.5 विवाद का निपटारा

ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

## 7.6 अभिलेखों का रखरखाव

अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियों की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण

## 7.7 सफलता के सूचक

1. गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
3. ग्राम पंचायत में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहाँ पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।
4. गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
5. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
7. समुदाय गंगा जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वयं गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
8. आजीविका के अवसरों में वृद्धि।
9. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

## समझौता ज्ञापन



### समझौता ज्ञापन

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैव विविधता के मूल्य को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना "जैव विविधता और गंगा संरक्षण" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा नदी की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

#### समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर .....खिलेवा..... ग्राम पंचायत, जिला मुरादाबाद राज्य उत्तर और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 25/06/2019 दिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

#### समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा नदी की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

- स्थानीय समुदायों के बीच गंगा नदी के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए, गंगा प्रहरी का सृजन।
- घायल एवं बीमार जलीय जीव-जंतुओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिए सक्रिय भागीदारी, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों द्वारा।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।
- सम्मिलित पंचायत के सभी सदस्यों के लिए स्थान-विशेष दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी दल इस समझौता ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

#### समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान

की ओर से

हस्ताक्षर: दीप

नाम:

पद:

दिनांक:

पंचायत की ओर से

हस्ताक्षर:

नाम:

पद:

दिनांक:

श्री. दीप  
25/06/2019  
मुखिया  
ग्राम पंचायत-खिलेवापुर  
पखंड-जारावापुर (मुरादाबाद)



सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

दिनांक 26/6/19

उपस्थित प्रतिभागियों की सूची - ग्राम पंचायत  
शाहजादपुर, आगलपुर, बिहार (सूक्ष्म अभियोजना)

क्र.सं.	नाम	पता	पद / सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
1.	मंजू देवी	विशानपुर	ग्रहणी	मंजू देवी
2.	शान्ति देवी	विशानपुर	ग्रहणी	शान्ति देवी
3.	वन्दना कुमारी	विशानपुर	कृषि दित संघ	Vanadana Kumari
4.	डोली कुमारी	विशानपुर	शिक्षिका	Doli Kumari

Page No.

Date 26/6/19

(Saathi)

क्र.सं.	नाम	पता	पद / सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
5.	अमित्रा देवी	विशानपुर	ग्रहणी	अमित्रा
6.	शिता देवी	विशानपुर	ग्रहणी	शिता देवी
7.	अश्विनी देवी	विशानपुर	ग्रहणी	अश्विनी देवी
8.	अहेलिया देवी	विशानपुर	ग्रहणी	अहेलिया
9.	अगरी देवी	विशानपुर	"	अगरी
10.	रामवती देवी	विशानपुर	"	रामवती
11.	ललिता देवी	विशानपुर	"	ललिता
12.	मरिा देवी	विशानपुर	"	मरिा
13.	किरण देवी	विशानपुर	"	किरण देवी
14.	महिला मंडल	"	मधुवाड़ा	मधुवाड़ा
15.	क्रीपनसंघ मंडल	"	"	Deep Mandal
16.	बहादुर मंडल	"	मधुवाड़ा	बहादुर
17.	अनिल मंडल	"	किलास	अनिल
18.	जुशील मंडल	"	किलास	जुशील मंडल
19.	बनारसी बाबू	"	खैरी	बनारसीबाबू
20.	अंकुश मंडल	"	किलास	अंकुश मंडल

Page No.

3

Saathi

Date 26/6/19

क्र.सं.	नाम	पता	पद/	इलाका
21	प्रो. अशोक मंडल	विशालपुर	किसान	इलाहाबाद गोरे-मंडल
22	आशुष मंडल	"	किसान	आशुष मंडल
23	रामधारी मंडल	"	किसान	-
24	चन्द्रशेखर मंडल	"	किसान	चन्द्रशेखर मंडल
25	विन्देश्वरी मंडल	"	किसान	विन्देश्वरी मंडल
26	शशि कान्त कुमार	नुरहीनपुर	किसान	शशि कान्त कुमार
27	Mishant Kr -	Jhansi	Janga Prasad	Mishant Kr -
28	Mukesh Kumar	Bishampur	Ganga Prasad	Mukesh Kumar
29	संगाराम मंडल	नुरहीनपुर	मधुआड़ा	संगाराम मंडल
30	चनंजय बहा	विशालपुर	वार्ड प्रतिनिधि	Changof Theek
31	जगन्नाथ दास	नुरहीनपुर	पंच प्रतिनिधि	जगन्नाथ दास
32	Chandul	Bishampur	Jalmar	Chandul
33	सकल प्रीतम	विशालपुर	किसान	सकल प्रीतम
34	राजकिशोर	विशालपुर	किसान	राजकिशोर
35	अनिल मंडल	विशालपुर	किसान	अनिल मंडल
36	उर्मो मंडल	"	किसान	उर्मो मंडल
37	गीता मंडल	"	"	गीता मंडल

Date 26/6/19

(1)

Saath

क्र.	नाम	पता	पठ	वृत्तनाम
38.	अनिल कुमार मंडल	अमरी	सिलाई	अनिल कुमार मंडल
39.	अभिनंदन कुमार	"	खेती	अभिनंदन कुमार
40.	सुनील कुमार	मुन्दीपुर	खेती	सुनील कुमार
41.	अभिनंदन कुमार	मुन्दीपुर	घात	अभिनंदन कुमार
42.	Anyami Kumar	Nuruddinpur, gongga panchari		Anyami Kumar
43.	Madan Kumar	Nuruddinpur	Student	Madan Kumar
44.	सोनी देवी	विशानपुर	गृहणी	Soni
45.	रमणी देवी	विशानपुर	गृहणी	Ramoni
46.	अर्चना कुमारी	विशानपुर	गृहणी	अर्चना कुमारी
47.	दत्तेश मंडल	विशानपुर	किसान	दत्तेश मंडल
48.	विश्ववती मंडल	"	किसान	विश्ववती मंडल
49.	रमणी लाल मंडल	"	किसान	रमणी लाल मंडल
50.	सुबोध मंडल	"	किसान	सुबोध मंडल
51.	अभिषेक कुमार	अमरी	student	Abhishek Kumar
52.	राकेश कुमार	अमरी	"	Rakesh Kumar
53.	चमालाल मंडल	विशानपुर	किसान	चमालाल
54.	अमर कुमार	मुन्दीपुर	घात	Amar Kumar
55.	अमित कुमार	अमरी	घात	Amit Kumar

# फोटो गैलरी





नमामि  
गङ्गे



भारतीय वन्यजीव संस्थान  
Wildlife Institute of India

## NMCG

National Mission for Clean  
Ganga, Ministry of Water  
Resources, River Development  
& Ganga Rejuvenation

## GACMC

Ganga Aqualife  
Conservation  
Monitoring Centre

## Wildlife Institute of India

Post Box #18, Chandrabani  
Dehradun - 248001  
Uttarakhand, India t: +91135  
2640114-15,  
+91135 2646100  
f: +91135 2640117

[www.wii.gov.in/national\\_mission\\_for\\_clean\\_ganga](http://www.wii.gov.in/national_mission_for_clean_ganga)